अनुदान संख्या 13 – औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No. 13–DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*		*25,00*	*1,47*	*–23,53*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*23,53*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	581,30,00	581,33,00	508,65,23	–72,67,77
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				69,48,34
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		19,10,00	15,00,00	–4,10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4,10,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	2452.00	2207.74	2113.51	–94.23
पु.	R.	–244.26			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	5600.00	..	..	..
पु.	R.	–5600.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	32667.00			
पू.	S.	1.00	28539.41	28379.91	–159.50
पु.	R.	–4128.59			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlay on Industries and Minerals				
मू.	O.	13100.00			
पू.	S.	1.00	16617.00	16616.00	–1.00
पु.	R.	3516.00			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	2962.00			
पू.	S.	1.00	2511.43	2462.74	–48.69
पु.	R.	–451.57			

(I) 7680.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 7675.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान" - 5600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा आंशिक निधियों का उपयोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय - प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण स्कीम" - 2075.00 लाख रु. स्कीम का सुधार किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.7680.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.7675.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" - "Other Expenditure-Provision for North Eastern Region and Sikkim"– Rs.5600.00 lakhs – due to utilisation of part funds by re-appropriation for meeting expenditure on Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from concerned functional heads and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2852" – "General - Other Expenditure – Technology Upgradation/ Modernisation Scheme" - Rs.2075.00 lakhs- due to reformation of the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग'' के अंतर्गत 341.77 लाख रु. की बचत (2419.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों के आबंटन के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निधियों का उपयोग न किए जाने और सादगी के उपाय अपनाए किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''सीमेंट और अधात्विक और खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद'' - 500.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय की धीमी गति होने की वजह से योजना स्कीमों में निधियों का उपयोग न होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सामान्य'' -

(क) ''औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय'' - 817.92 लाख रु. की बचत (2610.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के पास पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(ख) ''प्रशुल्क और मूल्य विनियमन - प्रशुल्क आयोग'' - 137.23 लाख रु. की बचत (430.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, किराया, दरों और करों की अदायगी प्रशुल्क आयोग के स्थान पर सम्पदा निदेशालय द्वारा किए जाने और किफायत के उपाय अपनाए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम'' - 2691.55 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम को आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Department of Industrial Policy and Promotion"- saving of Rs.341.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2419.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from attached/ subordinate offices for allocation of funds, non-utilisation of funds by the Central Public Works Department and observance of austerity measures.

(III) Under Major Head "2852" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Cement and Non-metallic and Mineral Industries – Others - National Council for Cement and Building Materials" – saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-utilisation of funds in Plan Schemes owing to slow progress of expenditure and reduction of provision at revised estimates stage.

(B) "General" -

(a) "Industrial Education Research and Training – Expenditure in connection with Science and Technology Plan" – saving of Rs.817.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2610.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage and availability of unspent balance of previous year with Central Manufacturing Technology Institute.

(b) "Tariff and Price Regulation – Tariff Commission" – saving of Rs.137.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.430.00 lakhs) was due to non-filling of vacant posts, payment of rent, rates and taxes by Directorate of Estates instead of Tariff Commission and observance of austerity measures.

(c) "Other Expenditure" –

(i) "Indian Leather Development Programmes" – saving of Rs.2691.55 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due non-approval of programme by Cabinet Committee on Economic Affairs.

(ii) ''आईसी एंड जेवी - भारत में निवेश और एशिया उद्यम'' - 101.83 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने और पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता - विशेष क्षेणी के राज्यों के लिए पैकेज'' के अंतर्गत 1700.00 लाख रु. की बचत (7000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रावधान में संशोधित अनुमान चरण पर कमी कर दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक'' के अंतर्गत 434.80 लाख रु. की बचत (2691.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रचालन के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना के आधुनिकीकरण में विलंब होने और रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.46 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1050.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2004 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''केंद्रीय ब्याज सहायता स्कीम'' - 850.00 लाख रु.।

(खा) ''पूर्वोत्तर के लिए व्यापक बीमा स्कीम'' - 200.00 लाख रु.।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - सामूहिक स्कीम का औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन'' - 2158.18 लाख रु. का अधिक व्यय (17500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सामूहिक स्कीम को लागू करने के लिए उद्योगों, राज्य सरकारों और अन्यों से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ii) "IC&JV-Investment & Asia Enterprises in India"- saving of Rs.101.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to austerity measures and non-receipt of sufficient proposals.

(IV) Under Major Head "2885"-"Development of backward areas-subsidies - Package for Special Category States"- saving of Rs.1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7000.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage.

(V) Under Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Controller General of Patents, Designs and Trade Marks"- saving of Rs.434.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2691.00 lakhs) was due to delay in the modernisation of the project for computerisation of operation and non-filling up of vacant posts.

(VI) Under one head saving of Rs.65.46 lakhs occurred constituting 24 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1050.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in December, 2004 under Major Head "2885" - "Development of backward areas-Subsidies"- under the following heads:-

(A) "Central Interest Subsidy Scheme"- Rs.850.00 lakhs.

(B) "Comprehensive Insurance Scheme for NE" - Rs.200.00 lakhs.

(II) Savings were also partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General - Other Expenditure - Industrial Infrastructure Upgradation of Cluster Scheme" - excess of Rs.2158.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17500.00 lakhs) was due to tremendous response received from Industries, State Governments and others for executing the Cluster Scheme.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता'' -

(क) ''चयनित पिछड़े क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों आदि को आर्थिक सहायता'' - 3821.00 लाख रु. का अधिक व्यय (3600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''विकास केंद्र'' - 295.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर निधियों का उपयोग किए जाने और कार्यान्वयन अभिकरणों को अदायगी के लिए अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(B) Major Head "2885"-"Development of backward areas - Subsidies"-

(a) "Subsidy to new Industrial Units etc. in selected backward areas"- excess of Rs.3821.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3600.00 lakhs); and

(b) "Growth Centres"- excess of Rs.295.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to utilisation of funds on Projects/Schemes for the benefit of the North Eastern Region including Sikkim and additional demand for payment to implementing agencies.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1910.00	1500.00	1500.00	. .
पु.	R.	–410.00			

(I) ''सामान्य - अन्य व्यय - पेटेंट कार्यालयों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण'' के अंतर्गत 410.00 लाख रु. की बचत (1910.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर कार्यालय भवन के निर्माण के लिए सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "General – Other Expenditure– Modernisation and Strengthening of Patent Offices" – saving of Rs.410.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1910.00 lakhs) was due to delayed approval from statutory authorities for construction of office building at the different locations by National Building Construction Corporation as per scheduled programme.